

मध्य प्रदेश शासन
 कूल शिक्षा विभाग
 अन्तर्गत

भोपाल, दिनांक 25/8/08

:: आदेश ::

क्रमांक एक 27-4/20-2/2008 :: राज्य शासन द्वारा अपने आदेश क्रमांक 27-4/2008/20-2 दिनांक 8-6-2008 से प्रदेश के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 11 वीं, 12वीं में अध्ययनरत छात्रावासी सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिए सुदामा शिक्षावृत्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का स्वरूप इस प्रकार रहेगा:-

हितग्राही, दर, आयसीमा:-

1	2	3	4	5
संक्र. क्र.	हितग्राही	दर	अभिभावक की आय	पात्रता
1-	प्रदेश के सिवा/ विमान कड मुकालय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले निर्धन परिवार के स्ते छात्र-छात्रा.	छात्र 500/- प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु छात्रा:- रुपये 525/- प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु	परिवार की तमस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 54000/- से अधिक न हो।	1-परिवार की तमस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 54,000/- से अधिक न हो। 2- कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12 वीं में अध्ययनरत तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र/छात्रा 3- स्ते छात्र/छात्रा जो केन्द्र शासन/ राज्य शासन की कोई अन्य-छात्रवृत्ति शिक्षावृत्ति प्राप्त न करते हो।

शिक्षा कर्म
 21/9/08

8/9/08
 H-able
 897-2

for immediate action

10.12.08
 St. Gupta Ji

2/10/08

द्वि छात्र/छात्रा को केन्द्र शासन/राज्य शासन की कोठी, अन्य छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति प्राप्त होती है, जो वे एक ही योजना के तहत लाभ पाने के हकदार होंगे।

अन्य निर्देश:-

- 1- विद्यार्थियों द्वारा शिक्षावृत्ति हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्राबल्य में अपनी शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाये। प्राचार्य प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण कर, पात्र छात्र/छात्राओं के सभी आवेदनों की सूची अपनी अनुशांसा एवं स्वीकृति सहित वांछित राशि का मांग-पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को अंटेन दिया जावेगा।
- 2- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों से प्राप्त मांग-पत्र को संकलित कर, कुल राशि की मांग संचालनालय को भेजें।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी की मांग अनुसार राशि का आवंटन संचालनालय द्वारा किया जावे तदुपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों को राशि उपलब्ध करावें।
- 4- विद्यार्थियों द्वारा ताबे कागज पर सलग्न अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये जिसमें सामान्य स्वच्छतागत जानकारी के साथ विद्यार्थियों उत्तीर्ण करने की सत्यापित अंक सूची, आय प्रमाण-पत्र एवं घोषणा प्रमाण-पत्र सलग्न किया जाये।
- 5- आवेदन की अंतिम तिथि प्रतिवर्ष 31 अगस्त, 2008 निर्धारित रहेगी

महेश राजबाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

M. S. Rajbale
25/8/08

१ समके दांडे १

अवर सचिव

महेशदासन, स्कूल शिक्षा विभाग

113/1

पृष्ठ सं. 27-4/20-2/2008

भोपाल, दिनांक 25/8/08

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
- 2- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है, कि सं. नं. 6 से 9 पर अंकित पत्र अपने स्तर से जारी करे।
- 3- आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश
- 4- आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश
- 5- आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश
- 6- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
- 7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 8- समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश
- 9- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature]
 प्रमुख सचिव
 मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
 मध्यप्रदेश

पृष्ठा.कमांक/उ.वि.से./छात्रवृत्ति/130/08/159

भोपाल, दिनांक 10-12-08

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल-मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
6. समस्त प्राचार्य जिला मुख्यालय एवं विकासखंडमुख्यालय उत्कृष्ट विद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature] 10-12-08
 संयुक्त संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 मध्यप्रदेश